भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2671
दिनांक 09 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

सीपीएसई का प्रौद्योगिकीय अंतर

2671. डॉ० आलोक कुमार सुमन:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के प्रौद्योगिकीय अंतर को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीपीएसई की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोई संयुक्त उद्यम/सहयोग शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविन्द गणपत सावंत)

(क) और (ख): सरकार ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए महारत्न,नवरत्न और मिनीरत्न स्कीम कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत *अन्य बातों के साथ-साथ* सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन करने और क्रय अथवा अन्य व्यवस्था द्वारा प्रौद्योगिकी और जानकारी प्राप्त करने के लिए इन सीपीएसईज के बोर्डों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं हैं । इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सीपीएसईज के प्रबंधन के प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 10% तक के भार के साथ सीपीएसईज (वित्तीय सेक्टर में सीपीएसईज को छोडकर) के लिए समझौता-ज्ञापन की व्यवस्था के अंतर्गत गैर- वित्तीय मानदण्ड के रूप में *'आरएण्डडी, नवाचार, प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन'* को शामिल किया गया है ।

(ग) और (घ) : सभी सीपीएसईज़ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। सीपीएसई के निदेशक-मण्डल संबंधित सीपीएसई के कार्य-निष्पादन की नियमित रुप से समीक्षा करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उनकी प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं और कारोबार योजनाओं के अनुसार कम्पनी के आउटपुट/उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग संबंधित सीपीएसईज़ के आउटपुट/उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित नीतिगत सहयोगों को सुकर बनाने हेतु उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीपीएसईज़ के कार्य- निष्पादन की आवधिक रुप से समीक्षा भी करते हैं।

***